अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां और लेखे को कम्पनी नियमावली 2014 में अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

- व्यवसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं कंपनी (निदेशको की नियुक्त, योग्यता) नियम 2014 के नियम 5 के साथ धारा 149(6) को पढ़ा जाए।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ,भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पुराने प्रावधानों को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 जो 1 दिसम्बर 2015 से लागू हुई, को अधिसूचित किया (2 सितम्बर 2015)।

सेबी ने (13 अक्टूबर 2015) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्ध करार प्रपत्र जारी किया जिसके द्वारा सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017 और 15 फरवरी 2017 को संशोधित किए गए थे।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, मई 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसई के लिए लागू किए गए हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों

और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशार्निदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के एमओयू में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों/विनियमन के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2018 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 644 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। सीपीएसई को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत, सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से, कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी (अप्रैल तथा सितम्बर 2014) दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी और निर्धारण रूपरेखा में वर्ष 2017-18 के दौरान इन प्रावधानों का विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा अनुपालन को प्रदर्शित किया गया था। समीक्षा में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 52 सूचीबद्ध सीपीएसई कवर किए गए हैं। सीपीएसई की सूची ***परिशिष्ट-XVII*** में दी गई है।

3.2 निदेशकबोर्ड का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) में अनुबंधित है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-

कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 *प्रतिशत* से कम नहीं होने चाहिए।

तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, कुल बोर्ड संख्या के 50 प्रतिशत से कम संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

तालिका 3.1 सीपीएसई जहां गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	6	2	33
2	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	4	44

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबन्धन के निर्णयों, स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली 2014 के नियम 4, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (ए) (2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार जहां बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहां कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी)(1) के अनुसार,'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामित निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक बोर्ड (बीओडी) के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थीः

तालिका 3.2: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बीओडी में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की प्रास्थिति	बीओडी में स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित संख्या	बीओडी में निदेशकों की वास्तविक संख्या
1	केआईओसीएल लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	2
3	एचएमटी लिमिटेड	5	कार्यकारी	3	1
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	गैर-कार्यकारी	4	2
6	दी फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेबनकोर लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
8	बीईएमएल लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
9	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
10	आईटीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
12	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	3
14	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
15	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि.	8	कार्यकारी	4	3
16	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
17	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
18	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	4
19	एनटीपीसी लिमिटेड	16	कार्यकारी	8	7
20	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
22	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
23	एसजेवीएन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
24	मोइल लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3

तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसई जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड
2	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
3	आईएफसीआई लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम 3 तथा सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियमन 17 (1)(ए) निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। एमएमटीसी लि. के संदर्भ में, निदेशक बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

3.3 स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

3.3.1 नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी करना

सूचीबद्ध करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) अनुबद्ध करता है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV भाग IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसई में शर्तो एवं निबंधन का विवरण देने वाला कोई भी नियुक्तिपत्र, जारी नहीं किया गया था।

तालिका 3.4 सीपीएसई द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को जारी न किए गए नियुक्ति पत्र

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड

3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
6	एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

3.3.2 आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17 (5)(ख) अनुबद्ध करता हैं कि निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित आचार संहिता कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल किया जाएगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, आचार संहिता स्वतन्त्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 3.5: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जहां आचार संहिता स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	एमएमटीसी लिमिटेड
2	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.3.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा-III(1) स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य), सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ख) (7) (क) और (ख) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (7) में प्रावधान है कि कम्पनी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाएं, अधिकार, कंपनी में उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि विषयों से अवगत करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, उन स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो 2017-18 के दौरान बोर्ड में थे।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलीजीकल एंड बायोलोजीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.3.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 46(2) (i) और अनुसूची V(सी) (2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उद्घोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.7 में सूचीबद्ध सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.7: सीपीएसई, जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर एंडकेमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	मिश्र धातु निगम लिमिटेड

3.3.4 निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.8 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.8: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	5	3
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3	2
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	-
4	द फर्टीलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रेवेनकोर लिमिटेड	3	-

5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1	-
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4	2
7	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2	1
8	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	4	3
9	मिश्र धातू निगम लिमिटेड	1	1
10	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि	1	-
11	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5	2
12	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी	3	1
13	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	1
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2
15	कोल इंडिया लिमिटेड	6	3
16	ऑयल इंडिया लिमिटेड	4	-
17	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	5	2
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	2	2
19	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	2	-
20	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	1	1
21	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2	-
22	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	2	2
23	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2	1
24	ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	4
25	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	-
26	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3
27	एमएमटीसी लिमिटेड	3	-
28	इंडिया टुरिज़्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	1	1
29	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	2
30	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	-
31	गेल (इंडिया) लिमिटेड	5	2
32	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5	5
33	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	2
34	एनटीपीसी लिमिटेड	7	3
35	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	1	-
36	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2	1
37	एनएचपीसी लिमिटेड	3	2
38	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	-

39	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	2	2
40	एसजेवीएन लिमिटेड	3	2
41	मोइल लिमिटेड	1	-
42	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	2

3.3.5 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा। तालिका 3.9 में ऐसे सीपीएसई सूचीबद्ध हैं, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनियों की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.9: स्वतंत्र निदेशक, जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	2
2	केआईओसीएल लिमिटेड	1
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3
5	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	3
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	6
7	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	5
8	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1
9	आईटीआई लिमिटेड	1
10	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3
12	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	3
13	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	3
14	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	2
15	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2
16	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
17	गेल (इडिंया) लिमिटेड	2
18	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2
19	एनएचपीसी लिमिटेड	1

3.3.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.6.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (1), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (3) और सूचीगत करार के विनियम 49 II बी (6) (ए) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना मिलेंगे। तालिका 3.10 ऐसे सीपीएसई दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	भारत इम्म्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.6.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.11: सीपीएसई जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4	भारत डायनमिक्स लिमिटेड
5	कंटैनेर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी
7	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
8	ऑयल इंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
10	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
13	एनटीपीसी लिमिटेड

यद्यपि पृथक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन तालिका 3.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में बैठक का कोई कार्यवृत्त नहीं बनाया गया था।

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां पृथक बैठक का कार्यवृत्त नहीं बनाया गया था

क्र. सं.	सीपीएसईका नाम
1.	केआईओसीएल लिमिटेड
2.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
4.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5.	आईटीआई लिमिटेड
6.	एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
7.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

3.4 निदेशकों के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

3.4.1 निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा VI (2) - पंजीकरण या हटाना) सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 25 (6) और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II) (डी) (4) में प्रावधान है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.13 में वर्णित सीपीएसई ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद काफी समय तक खाली पड़े रहे।

तालिका 3.13: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	महीनों में खाली रहना
1	केआईओसीएल लिमिटेड	20
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40
3	एचएमटी लिमिटेड	12
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	24
5	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	24
6	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	58

7	एंड्रयू युल एंड कंपनी लिमिटेड	74
8	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5
9	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
10	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	11
11	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24
12	एसजेवीएन लिमिटेड	12
13	मोइल लिमिटेड	4

3.4.2 इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि तालिका 3.14 में सूचीबद्ध सीपीएसई, में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थी।

तालिका 3.14: सीपीएसई जहां पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	चूक महीने में
1	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (संचालन)	46
2	द फर्टीलाईजर एंड केमीकल त्रावणकोर लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त) निदेशक (टेक)	17 21 21
3	बीईएमएल लिमिटेड	निदेशक (वित्त), निदेशक (एचआर)	23 21
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	12
5	कोल इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष	7
6	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	13
7	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	निदेशक (वित्त) निदेशक (संचालन)	9 7
8	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	निदेशक (कार्मिक)	7
9	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	एमडी/सीईओ	12
10	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	निदेशक (टीएंडएफएस)	6
11	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	9
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	11
13	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	26
14	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	24
15	आईएफसीआई लिमिटेड	अध्यक्ष	12

3.5 लेखापरीक्षा समिति

3.5.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 में प्रावधान है कि सदस्य रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, स्कूटर्स इंडिया लि. के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.15 में वर्णित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.15: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति में दो तिहाई स्वतन्त्र निदेशक नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
4	आईएफसीआई लिमिटेड

3.5.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (ए) (3) (4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18 (1) (डी) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष जो स्वतंत्र निदेशक होगा, वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगा। बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी और आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं है। एनएलसी लिमिटेड, द फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थिति नहीं थे।

3.5.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 18 (2) (ए) और (बी) तथा सूचीबद्ध करार के खंड 49 (III) (बी) प्रावधान करता है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा 120 दिनों से अधिक का समय दो बैठकों के बीच नहीं होगा। लेखापरीक्षा समिति में कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या या तो दो सदस्य या एक तिहाई, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड और भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त कोरम के उदाहरण देखें गए थे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अन्तर था।

3.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(डी)(11) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तालिका 3.16 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

तालिका 3.16: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
2	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड

3.5.5 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक

लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.17 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में ऐसा निष्पादन मूल्याकंन नहीं किया गया था।

तालिका 3.17: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
2	भारतीय तेल निगम लिमिटेड

3.5.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

3.5.6.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (13) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के कार्यकारी प्रमुख की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, तो उसकी पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

3.5.6.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की थी।

3.5.7 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा

3.5.7.1 सांविधिक अधिदेश के अनुसार, सभी सीपीएसई भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार,

सीपीएसई के मामले में, सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड और गैल (इंडिया) लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की।

3.5.7.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें), नियमावली 2015 की अनुसूची II के विनियम 18 (3) तथा भाग सी (बी) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति (i) प्रबंधन विचार-विमर्श और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) के विवरण, (iii) प्रबंधन पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण खामियों के पत्रों पर, (iv) आंतरिक नियंत्रण खामियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, (v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक शर्तों(vi) विचलनों का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगे।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मदों की समीक्षा नहीं की।

3.5.7.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के भाग सी (ए) (16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने ऐसी चर्चा नहीं की।

3.6 अन्य समितियां

3.6.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1), कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 6, सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV) तथा सेबी

(सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 19(1) तथा (2) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें सभी, गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे तथा कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.18 में उल्लिखित सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी यद्यपि कुछ सीपीएसई में समिति का गठन किया गया था किन्तु तीन निदेशक और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई थी।

तालिका 3.18: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	बॉमरलॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.6.2 पणधारक संबंध समिति

कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 178 (5), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 20(1) में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। यह देखा गया कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई थी।

3.6.3 धारा 177 (लेखापरीक्षा समिति) तथा धारा 178 (नामंकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं पणधारक संबंध समिति) के किसी प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, कंपनी धारा 178 (8) के तहत दंडनीय होगी, जिसमें जुर्माना एक लाख रूपए से कम नहीं होगा लेकिन पाँच लाख रूपए तक बढाया जा सकता है और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जाएगा जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा लेकिन इसे एक लाख तक बढ़ाया

जा सकता है या दोनों। तथापि, यह देखा गया कि 2017-18 के दौरान कंपनियां के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं हुई थी।

3.7 चेतावनी तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9), कंपनी (बोर्ड की बैठके एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 7, सूचीबद्ध करार के संशोधित खण्ड 49(।।)(एफ) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 22(1) तथा (2) अनुबंधित करते हैं कि कम्पनी निदेशकों तथा कर्मचारियों के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी अथवा कम्पनी की आचार-संहिता या नीतिगत नीतियों के विषय में सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करेगी। यह पाया गया कि तालिका 3.19 में सूचीबद्ध सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.19: चेतावनी तंत्र न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.8 संबंधित पक्षों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारकों द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तालिका 3.20 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गईथी:

तालिका 3.20: संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसई

क्रमसं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.9 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

3.9.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(ए), (एफ) और (जी) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपनी वेबसाइट पर (i) अपने व्यवसाय के विवरण, (ii) तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों से संबंधित नीति (iii) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदण्डों पर सूचना प्रकट करेगी, बशर्ते कि इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया था।

3.9.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2) (सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों का संयोजन प्रस्तुत करेगी। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.10 अनुपालन रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27 (2) (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनों के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

3.11 निष्कर्ष

चयनित 52 सीपीएसई में से दो सीपीएसई में 50 प्रतिशत से कम गैर-कार्यकारी निदेशक थे, तीन सीपीएसई में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था और 24 सीपीएसई में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त नहीं किये गये थे; एक सीपीएसई में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई थी; 7 सीपीएसई में नियुक्ति

पत्र जारी नहीं किया गया था; दो सीपीएसई में आचार संहिता को शामिल नहीं किया गया था; दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था; 42 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने या तो बोर्ड बैठकों में भाग नहीं लिया या कुछ बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुए; 19 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया, दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए अलग बैठक आयोजित नहीं की गई थी और 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने ऐसी बैठकों में भाग नहीं लिया; 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशको के पद 4 से 74 महीनों तक रिक्त पाए गए थे; चार सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति में दो तिहाई स्वतंत्र निदेशकों को शामिल नहीं किया गया। दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया; दो सीपीएसई में संविधिक लेखापरीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया था; तीन सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई गई थी, दो सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र स्थापित नहीं किया गया; और तीन सीपीएसई में संबंद्ध पार्टी से संबंधित कोई नीति नहीं थी।

सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (डीपीई) ने कहा है (जुलाई 2019) कि सीपीएसई द्वारा संबंधित कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों इत्यादि के कार्यन्वयन की निरीक्षण/ निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों में निहित है जोकि अपने संबंधी प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की समय से नियुक्ति हेतु भी उत्तरदायी है। डीपीई ने आगे बताया कि संबंधित सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक बोर्ड को डीपीई/ सेबी के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनिमय, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.12 सिफारिश

भारत सरकार, दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर जोर दे ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई में निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।